To Regularize the Industrial Area

54. Sh. NEERAJ SHARMA (Faridabad Nit)

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the village Sarurpur and village Nangla are industrial area in Faridabad;
b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the abovesaid area togetherwith the time by which the said area is likely to be regularized;
c) the present status of the main roads and streets of the village Sarurpur and village Nangla industrial area;
d) whether the said area is in bad condition; and
e) if so, the time by which the roads and streets of the abovesaid area are likely to be constructed/ repaired?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER, HARYANA

Yes Sir,

a) In a survey conducted by Department of Industries and Commerce, Haryana through M/s RSI Softech, there are several industries in revenue estate of village Sarurpur and village Nangla.
b) There is no proposal under consideration of the Government to regularize the abovesaid area. However, a proposal to shift industrial unit or allowing it at present location under the "Policy for Shifting the Industrial Units" dated 20.07.2016 prepared under the order of Hon'ble High Court in CWP no. 11226 of 2013 is in progress. Furthermore, illegal industrial areas/ colonies cannot be regularized under the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure deficient Municipal Area (Special Provision), Act, 2016, as the Act consider only residential colonies to be notified.
c) Main road of village Sarurpur is out of the jurisdiction of Municipal Corporation Faridabad. Main road of village Nangla stands constructed, but internal streets of village Nangla industrial units are not constructed and the same in unauthorized area.
d) The streets of village Nangla's Industrial units are in bad conditions, but development works cannot be executed being unauthorized area. The area of village Sarurpur falls outside municipal area of Faridabad.
e) Since, village Sarurpur falls outside municipal limit of Faridabad and Industrial area falling revenue estate of village Nangla in unauthorized hence development works cannot be executed. Further, presently Municipal Corporation Faridabad has no plan to construct/ repair main road to village Nangla.

औद्यौगिक क्षेत्र नियमित करना

54 श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एनआईटी):

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि फरीदाबाद में गांव सरूरपुर तथा गांव नंगला औद्योगिक क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त क्षेत्र को नियमित करने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उक्त क्षेत्र को कब तक नियमित किए जाने की सभांवना है;

(ग) गांव सरूरपुर तथा गांव नंगला औद्यौगिक क्षेत्र की मुख्य सड़को तथा गलियों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या उक्त क्षेत्र बुरी अवस्था में है; तथा

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र की सड़को तथा गलियों को कब तक निर्मित/मरम्मत किए जाने की सभांवना है?

डॉ0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा

श्री मान जी,

(क) उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा मैसर्स आर.एस.आई. सॉफटेक के माध्यम से किए गए एक सर्वेक्षण में गांव सरूरपुर और गांव नंगला के राजस्व क्षेत्र में कई उद्योग है।

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि सीडब्ल्यूपी संख्या 11226 ऑफ 2013 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत "औद्योगिक इकाईयों को स्थानांतरित करने की नीति" तैयार की गई है, दिनांक 20.07.2016 के तहत औद्योगिक इकाई को स्थानांतरित करने या वर्तमान स्थान पर अनुमति देने का प्रस्ताव तैयार है, जोकि प्रगति पर है। इसके अलावा, अवैध औद्योगिक क्षेत्रों/कॉलोनियों को हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान), अधिनियम, 2016 के तहत नियमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिनियम केवल आवासीय कॉलोनियों को अधिसूचित करने पर विचार करता है।

(ग) गांव सरूरपुर की मुख्य सड़क नगर निगम फरीदाबाद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ग्राम नंगला की मुख्य सड़क का निर्माण हो चुका है, परन्तु ग्राम नंगला की औद्योगिक इकाईयों की आंतरिक गलियां निर्मित नहीं और यह क्षेत्र अनाधिकृत है।

(घ) गांव नंगला की औद्योगिक इकाइयों की गलियों की हालत खराब है, लेकिन अनाधिकृत क्षेत्र होने के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे है। गांव सरूरपुर का क्षेत्र नगर निगम फरीदाबाद क्षेत्र के बाहर पड़ता है।

(ङ) क्योंकि, गांव सरूरपुर नगर निगम फरीदाबाद की सीमा के बाहर आता है और औद्योगिक क्षेत्र नंगला गांव की राजस्व संपदा अनाधिकृत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विकास कार्य नहीं

हो सकते। इसके अलावा, वर्तमान में नगर निगम फरीदाबाद के पास गांव नंगला तक मुख्य सड़क के निर्माण/मरम्मत की कोई योजना नहीं है।